

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
उपसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, ०९ सितम्बर 2019

विषय:- पीलीभीत में बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एमडीआर-62) किमी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम मानपुर के खसरा सं० 3/1 में बी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.061624 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अविस्थित 5 वृक्षों के पातन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-119/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/21754/2016 दिनांक 16-07-2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र एफ०एन०-11/एफसी/आर०ओ०सी०/95-2015/92, दिनांक 30-04-2019 के पीलीभीत में बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एमडीआर-62) किमी० 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम मानपुर के खसरा सं० 3/1 में बी०पी०सी०एल० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.061624 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अविस्थित 5 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार/राज्य सरकार एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:

- 1 The forest land to be diverted for approach/access should not be more than 0.1 ha in each case.
- 2 The clearance of such approach/access to development of project shall be subject to the condition that the project is need based.
- 3 The legal status of the land shall remain unchanged.
- 4 The user agency shall submit the project proposal to the State/UT Governments in the prescribed format online on Ministry's web portal under the forest (Conservation) Rules, 2003 as amended from time to time.
- 5 The project site should be outside Protected Area Network and eco-sensitive zones (ESZ).

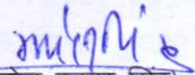
- 6 The concerned Divisional forest Officer shall assess the bare minimum requirement of the forest land for the project which shall not exceed 0.1 ha in each case and will also certify to this effect.
- 7 The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forests and from State/UT Government
- 8 The Nodal Officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases.
- 9 The User Agency shall plant minimum 50 plants or 10 times the no. of trees/plants to be felled whichever is more on Government land to be identified and certified by DFO.
- 10 The User Agency shall pay the Net Present Value (NPV) of the diverted forest land at the rates approved by the Ministry.
- 11 The User Agency shall be responsible for ant loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.
- 12 The permission granted by the State/UT Government shall be subject to the monitoring by the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.
- 13 The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal
- 14- Entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.
- 15 The State/UT Forest Department or State/UT Government or the concerned Regional Office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forests
- 16 वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाइन्स दिनांक-24-7-2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।
- 17 सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
- 18 फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1x1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
- 19 प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007- एफ0 सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0), क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तत्पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
- 20 उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- 21 प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
- 22 भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ

करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।

- 23 समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 24 उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- 25 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक:11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशों-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया हो।
- 26 प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लागिंग एवं ट्रान्सप्लेंटेशन चार्ज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।
- 27 उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण-पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

3: उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय!

भवदीय


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव

संख्या-पी-55 (1)/84-2-2019-तददिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -
- 1 अपर महानिदेशक भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, (मध्य) अलीगंज, लखनऊ।
 - 2- वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत।
 - 3- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
 - 4- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, पीलीभीत।
 - 5- टेरीटरी मैनेजर रिटेल बी0पी0सी0एल0 ग्राम नूरपुर तहसील आंवला जनपद बरेली।
 6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(मनोज कुमार सिंह)
उप सचिव